जिला पंचायत राज अधिकारी, बिजनौर
जन सूचना के अधिकार के अन्तर्गत 16 बिन्दुओं पर सूचना

क्र. सं.	बिन्दु	बिन्दुवार सूचना
1	अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य	ग्राम पंचायत एवं ग्राम पंचायत पदाधिकारियों, उनके कर्तव्य पालन के दायित्वों के निर्वहन हेतु मार्गदर्शन, सहयोग एवं पर्यवेक्षण प्रदान करना। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न योजनाओं की अनुदान की धनराशि ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित करना एवं शासन/उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का निष्पादन।
2	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य	विभागीय अधिकारी/कर्मचारी राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। ग्राम पंचायतों का कार्य उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 (यथा संशोधित) तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम एवं शासकीय निर्देशों के अन्तर्गत करते हैं।
3	विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है,	ग्राम पंचायत अधिकारी ग्राम पंचायत का पदेन सचिव तथा स्थानीय जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। सहायक विकास अधिकारी (पं0) विकास खण्ड स्तर पर तथा जिला पंचायत राज अधिकारी जिला स्तर पर विभागीय कर्मचारियों का पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
4	अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा निर्धारित मापमान,	जिला पंचायत राज अधिकारी जिला स्तर पर नियंत्रक अधिकारी हैं जिनके नियंत्रण में विभागीय अधिकारी/कर्मचारी शासकीय कार्य सम्पन्न करते हैं।
5	अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख,	जिला स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी, सहायक जिला पंचायत राज अधिकारी (प्रा0) तथा कार्यालय स्टाफ, विकास खण्ड स्तर पर सहायक विकास अधिकारी (पं0) एवं ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत अधिकारी द्वारा विभागीय कार्यों का संचालन, निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं सम्पादन शासन के निर्देशों तथा उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम 1947 (यथा संशोधित) एवं तद्न्तर्गत नियमों के अनुरूप किया जाता है।
6	ऐसे दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण, जो उनके द्वारा धरारित किये गये हैं अथवा उनके नियंत्रण में है,	शासन द्वारा निर्धारित अभिलेख पूर्ण कर सुरक्षित रखे जाते हैं, जिनका नियमानुसार अवलोकन किया जा सकता है।
7	किसी व्यवस्था का विवरण जिसमें उसकी नीति निर्माण अथवा उसके कार्यान्वयन के संबंध में लोक सदस्यों के साथ परामर्श या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं,	जिला पंचायत, जिला सतर्कता समिति, जिला योजना समिति आदि में जिला पंचायत राज अधिकारी सदस्य के रूप में नामित हैं जिसमें जनप्रतिनिधियों का सुझाव एवं मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
8	बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हो, और यह विवरण कि क्या इन बोर्डो, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली है, अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं,	ग्राम पंचायत तथा उसकी छः समितियों में ग्राम पंचायत के पदाधिकारी सम्मिलित रहते हैं, जिनकी बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में सम्बन्धित पंचायत/समिति में किसी व्यक्ति को आमंत्रित किया जा सकता है। ग्राम सभा की बैठक में ग्राम सभा क्षेत्र का प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम तत्समय मतदाता सूची में सम्मिलित है भाग ले सकता है। बैठकों की कार्यवृत्ति लोगों के लिए सुलभ है।
9	अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका	इस संस्था के कर्मचारी राज्य सरकार के नियंत्रण में कार्यवाही सुनिश्चित करते हैं और राज्य सरकार के निर्गत निर्देशों का पालन करते हैं।
10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसमें उसके विनियमों में यथा उपबंधित प्रतिकर की प्रणाली सम्मिलित हों,	विभागीय नियमावली के अनुसार कर्मचारियों के मासिक तथा त्रैमासिक आंकड़े निदेशक पंचायती राज उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराए जाते हैं।
11	सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण	पंचायती राज विभाग द्वारा राज्यवित्त आयोग, बाहरवां वित्त आयोग, जिला योजना तथा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुमन्य धनराशि उनके बैंक खातों में हस्तानान्तरित की जाती है जिससे ग्राम पंचायत सार्वजनिक हित

	को आवंटित बजट।	के कार्यों का निष्पादन करती है। जिसका उपभोग ग्राम पंचायत द्वारा किये जाने के उपरान्त प्राप्त उपभोग प्रमाण पत्रों के आधार पर रिपोर्ट शासन को भेजी जाती है।
12	सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं,	राज्यवित्त आयोग, बाहरवां वित्त आयोग, जिला योजना तथा सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को अनुमन्य धनराशि हस्तानान्तरित की जाती है जिससे ग्राम पंचायत सार्वजनिक हित के कार्यों का निष्पादन करती है।
13	अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां,	विभाग में ऐसा कोई प्राविधान नहीं है।
14	किसी इलैक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों,	विभाग द्वारा इस सम्बन्ध में कोई सॉफ्टवेयर उपलब्ध नहीं कराया गया है।
15	सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिसमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं,	ऐसी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। प्रत्येक कार्यदिवस में (मंगलवार को छोड़कर) जिला पंचायत राज अधिकारी आम नागरिकों से मिलने के लिए प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक कार्यालय में उपलब्ध रहते हैं।
16	जन सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां,	ग्राम पंचायत स्तर पर– सम्बन्धित ग्राम पंचायत अधिकारी/सचिव, ग्राम पंचायत। विकास खण्ड/क्षेत्र पंचायत स्तर पर– सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी (पं0) जिला स्तर पर– जिला पंचायत राज अधिकारी

(बी0बी0 सिंह)
जिला पंचायत राज अधिकारी
बिजनौर।